अनुसूची 14– फारम सं. 562

(4)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 45/18–19

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकारः– **सरकार (अंचल अधिकारी, बाबूबरही)**

प्रतिपक्षीः–**नन्द किशोर प्रसाद राजा यादव (जमाबंदीदार)**

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
01.11.18	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, बाबूबरही से प्राप्त प्रतिवेदन पर प्रारम्भ की गई है। **अंचल अधिकारी, बाबूबरही द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का मुख्य अंशः–** मौजा–बरैल थाना संख्या–157 खाता संख्या–483 पुराना 1152 नया खेसरा संख्या– 103 पुराना, 789 नया रकवा 0–0–16 (सोलह) धूर **पुराना खतियान में गैर मजरूआ आम किस्म–रास्ता नया खतियान में अनाबाद बिहार सरकार किस्म जमीन– धनहर दो दर्ज है** जिसका जमाबंदी संख्या–2316 नन्द किशोर प्रसाद राजा यादव पिता रमेश कुमार यादव साकिन–बरैल थाना–बाबूबरही के नाम से कायम है। अंचल अधिकारी ने अनाबाद सर्वसाधारण भूमि का रैयत के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया है। अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वाद की प्रकिया प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। प्रतिपक्षी के रूप में नन्द किशोर प्रसाद राजा यादव पिता रमेश कुमार यादव साकिन–बरैल अंचल–बाबूबरही की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष रखा गया। **प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1–पुराना खेसरा नं. 103 रास्ता दर्ज था जो कालान्तर में स्वरूप परिवर्तन होने पर धनहर खेती लायक हो गया जिसे विभिन्न लोगों ने अपने–अपने उपयोग उपभोग में लाया। इसलिए उक्त खेसरा की जमीन रैयती हो गई। 2– एक सुन्दर महतो पे0 मंगल महतो के नाम से तत्कालीन जमींदार द्वारा 0–7–0 (सात कट्ठा) जमीन बंदोवस्त कर दिया जिन्होंने बाद में खट्टर महतो को 15.11.1962 को निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तांरित कर दखल कब्जा दे दिया। 3– रिविजनल सर्वे द्वारा पुराना खेसरा नं. 103 से कुल चार नया खेसरा रैयत कायम कर दिया किन्तु भूल से नया खेसरा नं. 789 रकवा 40 डिसमिल का नया खाता 1152 अनाबाद बिहार सरकार दर्ज हो गया किन्तु अवैध दखल कब्जा में खट्टर महतो का नाम दर्ज किया। 4– रिविजनल सर्वे खतियान में हुई भूल के विरूद्ध वाद संख्या–103/2008 दायर किया गया जिसमें भू–बंदोवस्त पदाधिकारी ने खेसरा नं. 789 की रकवा 40 डिसमिल में से 31 डिसमिल का नया सर्वे	

(5)

खतियान खट्टर महतो के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। जिसके आधार पर खट्टर महतो ने अपने रैयती खेसरा नं. 102 पुराना वो खेसरा नं. 103 पुराना को एकजाय कर एक कोला बना लिया। उक्त भूमि को बिकी करने का एलान किया जिसे मोनासिब जरसेमन पर निबंधित केवाला दिनांक– 10.7.1975 को रमेश कुमार यादव प्रतिपक्षी के पिता ने खेसरा नं. 102 एवं खेसरा नं. 103 रकवा से कुल रकवा 9 कट्ठा 10 धूर 10 कनमा क्रय किया। वैसी स्थिति में खेसरा नं. 103 को लोक भूमि करार देना, को कायम जमाबंदी को रद्द किया जाना बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के न्यायोचित नहीं है बल्कि सिद्धान्त के खिलाफ है।

5– विपक्षी ने माननीय सब जज प्रथम, मधुबनी के न्यायालय में खेसरा नं. 103 के खिलाफ हकीयत वाद संख्या–254/2018 दाखिल किया है जो प्रक्रियाधीन है। इसलिए अगर कोई हकीयत किसी सक्षम न्यायालय में लंबित है तब तक कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

6– अंचल अधिकारी, बाबूबरही द्वारा लाये गये जमाबंदी रद्दीकरण वाद को निरस्त किया जाय।

प्रतिपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ निम्नांकित साक्ष्यों की प्रति दाखिल कियाः–

1– रिविजनल सर्वे खतियान के नकल की छाया प्रति.....एक पन्ना।

2– हकीयत मुकदमा संख्या–254/2018 में आदेशफलक 27.7.18 एवं 16.8.18 तथा अर्जीदावी की कॉपी.....दस पन्ने।

3– फोटो कॉपी मालगुजारी रसीद .....एक पन्ना।

4–' फोटो केवाला नविस्ते खट्टर महतो.....छः पन्ने।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित राय का मुख्य अंशः–

1– नया खेसरा नं. 789 रकवा 16 धूर पुराना सर्वे में गैर मजरूआ आम रास्ता एवं नया सर्वे खतियान में अनाबाद सर्व साधारण धनहर करके दर्ज है। विपक्षी का यह कथन सही है कि उक्त खेसरा के विरूद्ध विपक्षी ने सब जज प्रथम के न्यायालय में हकीयत वाद संख्या–254/18 दाखिल किया है जो न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित है। यदि विपक्षी ने अंचल अमला को मेल वो दाम में लाकर नाजायज जमाबंदी कायम करवा लिया हो तो वह खारिज होने योग्य है।

निष्कर्षः–

अंचल अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक हैं जिनका प्रतिवेदन है कि मौजा–बरैल थाना संख्या–157 खाता संख्या–483 पुराना 1152 नया खेसरा संख्या– 103 पुराना, 789 नया रकवा 0–0–16 (सोलह) धूर **पुराना खतियान में गैर मजरूआ आम किस्म–रास्ता नया खतियान में अनाबाद बिहार सरकार किस्म जमीन– धनहर दो दर्ज है।** गैर मजरूआ आम भूमि सार्वजनिक उपयोग की है जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार किस्म–रास्ता के रूप में है जिसका बंदोवस्ती करने का अधिकार तत्कालीन जमींदार को भी नहीं था। नया सर्वे खतियान भी अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज है।

प्रतिपक्षी ने माननीय सिविल न्यायालय में हकीयत मुकदमा विचाराधीन लंबित होने का उल्लेख किया है तथा आदेशफलक के नकल की प्रति संलग्न किया है। आदेशफलक में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा कहीं भी स्थगन अथवा रोक का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा। चूँकि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि सरकार की है। सरकारी भूमि की रक्षा किया जाना सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में सरकारी भूमि का रैयत के नाम **कायम जमाबंदी संख्या–2316 में सन्निहित प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी को रद्द किया जाता है।** हकीयत वाद संख्या– 254/18 में अन्यथा आदेश होने पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः विलोपित माना जायेगा।

आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्यार्थ अंचल अधिकारी, बाबूबरही को भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से आदेश से विपक्षी को अवगत करा देंगे। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी को भी भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

01/11/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

01/11/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

पत्रांक 366/रा०(अ०) दिनांक 01.11.2018 के आलोक में प्रति अंचल अधिकारी, बाबूबरही / भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी एवं DIO. NIC को प्रेषित।

01.11.18